UPET120022562015

न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा

उपस्थित: श्री मोहित कुमार (JO Code-UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा

मूल वाद सं०– 320/2015

प्राचीन वाद सं०- 680/1998

1– श्री राजीव गुप्ता पुत्र श्री रविशंकर गुप्ता

निवासी– मौहल्ला बाजारकलां कस्बा जलेसर परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा।

–––––वादी

–बनाम–

1– श्री हरीशंकर गुप्ता पुत्र श्री राम प्रसाद (दौरान मुकदमा फौत)

2– श्री अविनाश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री हरीशंकर गुप्ता

3– श्री अवधेश चन्द्र गुप्ता (मृतक दौरान तजवीजसानी)

निवासीगण– मौहल्ला बजार कलां कस्बा जलेसर परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा

3/1– श्रीमती रंजना गुप्ता पत्नी स्व० श्री अवधेश चन्द्र गुप्ता

3/2– श्री मोहित गुप्ता पुत्र स्व० श्री अवधेश चन्द्र गुप्ता

3/3– श्री शोभित गुप्ता पुत्र स्व० श्री अवधेश चन्द्र गुप्ता

निवासीगण– मौहल्ला बड़ा बाजार कस्बा जलेसर, परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा।

––––– प्रतिवादीगण

–एक पक्षीय निर्णय–

1– प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थित मौहल्ला बाजार कलां अगरैयान कस्बा जलेसर परगना व तहसील व जिला एटा पुराना नंबर 2/658 व 2/659 था जो अब 4/380 व 4/381 हो गया तथा जिसकी सीमायें वाद पत्र के अन्त में अक्षर ए, बी, सी, डी, ई से दर्शित की गयी हैं, पर स्थाई निषेधाज्ञा व संशोधन पश्चात आदेशात्मक निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दायर किया गया है।

2– वादी द्वारा उपरोक्त वाद प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 18.09.1998 को न्यायालय में योजित किया। जिस पर प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद पत्र मय काउंटर क्लेम दाखिल किया गया। उक्त पत्रावली पर उभय पक्ष लगातार उपस्थित चल रहे थे, परन्तु दिनांक 17.09.2025 से प्रतिवादी अनुपस्थित चल रहा तथा पत्रावली वास्ते जिरह पी०डब्लू० 2 हेतु चल रही थी। न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2025 को प्रतिवादी की अनुपस्थिति में प्रतिवादी को पी०डब्लू० 2 से जिरह का अवसर समाप्त किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2025 को प्रतिवादी की अनुपस्थिति

में प्रतिवादी का पी०डब्लू० 3 से जिरह करने का अवसर समाप्त किया तथा पत्रावली एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी। इसके पश्चात दिनांक 16.10.2025 को वादी द्वारा पत्रावली के आदेश पत्र अन्य कोई साक्ष्य न देने का पृष्ठांकन किया है। न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2025 को काउण्टर क्लेमकर्ता/प्रतिवादी को अपने काउण्टर क्लेम पर साक्ष्य देने हेतु एक अवसर प्रदान किया तथा प्रतिवादी/काउण्टर क्लेमकर्ता की अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2026 को काउण्टर क्लेम पर साक्ष्य देने हेतु अवसर समाप्त किया गया तथा वादी की एकपक्षीय बहस को सुना गया।

3– वादी ने वाद पत्र में कथन किया है कि वादी एक किता मकान मय घेर स्थित मौहल्ला बाजार कलां अगरैयान कस्बा जलेसर परगना व तहसील व जिला एटा का मालिक व काबिज चला आता है। उक्त मकान व घेर का नगर पालिका जलेसर में पुराना नंबर 2/658 व 2/659 था जो अब 4/380 व 4/381 हो गया है। उक्त मकान की सीमायें वाद पत्र के अन्त में दी जाती है। उक्त मकान को नक्शा वाद पत्र में अक्षर ए, बी, सी, डी, ई से दिखाया गया है। उक्त मकान वादी की पैत्रिक सम्पत्ति थी जो कि वादी को व वादी के अन्य हिस्सेदारान परिवारीजनों के मध्य न्यायालय सिविल जज एटा के यहां दायर बटवारे के वाद जिसका मूलवाद नं० 28 सन् 1979 श्री रवीशंकर बनाम हरीशंकर आदि में हुये समझौते के आधार पर मिला था और उसी के आधार वादी अब उक्त मकान का तन्हा मालिक व काबिज चला आता है। प्रतिवादीगण वादी के खान्दानी है उसका मकान वादी के उक्त मकान के वजानिव उत्तर स्थित है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी से अर्सा करीब 15 दिन पूर्व यह कहा कि अपने मकान व खाली जगह में वादी के मकान के उत्तरी दीवाल के सहारे–सहारे अपनी दीवाल लगाकर अपनी नई तामीरात करना चाहते है तब वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि यदि आप अपनी नई तामीरात अपनी दीवाल लगाकर करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तत्पश्चात वादी आवश्यक कार्य से बाहर चला गया और जब दिनांक 07.09.1998 को वादी आगरा से आया तो उसने देखा कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के मकान को मय घेर की उत्तरी दीवाल में तोड़फोड़ कर जंगला आदि निकालना चाहते हैं। तब वादी ने एस०डी०एम० जलेसर के यहाँ एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण द्वारा किये गये गलत कृत्यों को रुकवाने हेतु दिया जिस पर परगना अधिकारी जलेसर ने एस०एच०ओ० कोतवाली जलेसर को यह आदेश दिया कि वह मौके पर जाक यथास्थिति रखवाये तथा उन्हें स्थिति के बारे में अवगत कराये एस०एच०ओ० कोतवाली द्वारा प्रतिवादीगण पर उक्त आदेश की तामील कराई तथा प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को रुकवाया। इस बीच प्रतिवादीगण ने पुलिस अधिकारियों से सांठ गांठ कर ली और प्रतिवादीगण द्वारा एस०डी०एम० महोदय जलेसर द्वारा जारी किये गये स्टे आदेश की तामील होने के बाद अचानक दिनांक 14.09.1998 को पुनः वादी के मकान की उत्तरी दीवाल में तोड़फोड़ करना तथा वादी के घेर में बनी कोठरी व पाखाना आदि क अपने भाग में मिलाने हेतु मुकाम सी०डी० के व तरफ दक्षिण पर दीवाल लगाने के उद्देश्य से नींव खोदना शुरु कर दिया। तब वादी एवं अन्य मौहल्ले वालों द्वारा काफी कहने सुनने पर प्रतिवादीगण ने उक्त अपने कृत्य को रोका तथा वादी को यह धमकी दी कि वह मौका पड़ते ही वादी की दीवाल को पूरी तरह तोड़ देगें और उसमें अपनी नई दीवाल लगाकर जंगला आदि वादी की तरफ निकालने का तथा वादी की कोठरी व खाली जगह व वादी के पाखाने आदि को नई

दीवाल लगाकर अपने मकान में मिलाना चहाते हैं। प्रतिवादीगण के वाद योजित करने के उपरान्त अमीन महोदय के पहुँचने के पूर्व वादी को सम्पत्ति की दीवाल जिसे नक्शा वाद पत्र में अगर सी, डी से दिखाया है के वतरफ उत्तर निर्मित कमरे को छत का पटाव गार्टर व पटियों से वादी की सी, डी दीवाल पर कर दिया है। जिसका हटाया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। वादी थाने में जब पुलिस के पास गया और प्रतिवादीगण के गलत कृत्य के बारे में थानाध्यक्ष को बताया तो थानाध्यक्ष ने वादी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि एक बार हम कार्य रुकवा आये है। अब बार–बार नहीं जायेंगे तुम दीवानी में दायर करो। इस प्रकार वादी को पूर्ण विश्वास हो गया कि इलाका पुलिस प्रतिवादीगण से साज कर गयी और कभी–कभी प्रतिवादीगण के गलत कृत्य में सहयोग कर सकते हैं। प्रतिवादीगण को कोई भी अधिकार वादी के मकान की उत्तरी दीवाल में तोड़फोड़ करने दीवाल पर गार्डर पटिया रखने या वादी की जगह को घेरने का अथवा वादी की तरफ जंगला आदि बनाने का नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि अब अपने गलत कृत्यों से बाज आवे और प्रतिवादीगण मुतवज्रेह नहीं हो रहे है। यदि प्रतिवादीगण अपने गलत कृत्य में कामयाब हो जाते है तो वादी की सख्त हकतलफी होगी। प्रतिवादीगण बिना हुक्मइम्तनाई जारी हुये अपने गलत कृत्य करने से बाज नहीं आवेगें। अतः मजबूरन निलिश बावत हुक्मइम्तनाई पेश आई। वाद का कारण दिनांक 07.09.1998 को यौम नापाक इरादा एवं नापाक कृत्य करने से व दिनांक 14.09.1998 यौम पुनः तामीरात करने से व तोड़ फोड़ का इरादा जाहिर करने से व दिनांक 16.09.1998 को व वाद योजित करने के बाद अमीन साहब के पहुँचने से पूर्व वादी की सम्पत्ति की उत्तरी दीवाल पर गाडर पटिया रखने से व मुकाम कस्बा जलेसर परगना व तहसील जलेसर जलि एटा अन्दर हदूद इलाका अदालत हाजा पैदा हुई और अदालत हाजा को वाद का श्रवण करने का अधिकार है। तायून दावा व गर्ज अखत्यार समाअत मुव० 20,000/– रु० तखमीनी कीमत विवादित उत्तरी दीवाल आदि पर कायम किया जाता है और कोर्ट फीस बावत स्थाई निषेधाज्ञा 1/5 भाग यानी मुव० 4,000/– रु० पर मुव० 500/– रु० कोर्ट फीस अधिकतम अदा की जाती है। मुव० 1000/– रु० तखमीनी कीतम दीवाल सी,डी पर कायम किया जाता है और कोर्ट फीस वास्ते मैन्डेटरी इंजंगशन 1000/– रु० के 1/5 भाग पर 22.50 रु० अदा की जाती है।

4– प्रतिवादीगण द्वारा **प्रतिवाद पत्र मय काउन्टर क्लेम 24 ए1** दाखिल कर संक्षिप्त में कथन किया गया है कि दावा वादी कतई गलत खिलाफ कानून गलत तथ्यों को लिखकर महज किसी बदनियती से जबावदहा को तंग व परेशान करने की नियत से गलत नक्शा बनाकर वास्तविकता के विपरीत पेश किया है जो किसी भी दशा में विश्वसनीय नहीं है और हर आयना मय खर्चा निरस्त होने योग्य है। वादी को कोई वाद पेश करने का कारण न कभी पैदा हुआ न है। वकील वादी स्वंय मूल वाद सं० 28/79 सिविल जज एटा रविशंकर बनाम हरीशंकर आदि मुनपेसला 16.8.79 की विनास पर दायर किया है कि उपरोक्त वाद अनुसार अमुक मकानियत वादी को मिली और अमुक मकानियत जबावदेह व अन्य फरीकेंन को नहीं मिली किन्तु वादी ने उपरोक्त वाद में मूल वाद सं० 28/79 के सभी पक्षों को फरीक मुकदमा नहीं बनाया है, इस कारण इस वाद में आवश्यक पक्षकार न बनाए जाने का दोष आरिज है। वकील वाद पैत्रिक सम्पत्ति का पक्षकारान व अन्य हिस्सेदारान के मध्य वाद सं० 28/79 रविशंकर बनाम हरीशंकर सन्धिपत्र

के आधार पर निर्णित हुआ था और उक्त संधि पत्र के आधार पर जो नक्शा जिस तरह वादी ने अपने वाद पत्र में बनाया है वह उक्त 28/79 की डिग्री के मुताबिक नहीं है और गलत व झूठा है। उक्त मूल वाद 28/79 के संधि पत्र में जो सम्पत्ति प्रतिवादी जबावदेह को मिली है, जिनमें एक किता गोदाम दोखनी तामीरा पुखता व चार किता दुकानात मय जीना तामीरा पुख्ता व एक कूप (कुँआ) पुख्ता तथा इसके पीछे बने मकानात तामीरा पुख्ता बना था जिसकी सीमा में पूरब सड़क सरकार पश्चिम मकान प्रेमराज आदि, उत्तर मकान वारिसान बाबूराम आदि, दक्षिण आराजी वादी जो उस मूलवाद 28/79 में मुददालय नं० 7 था को मिली थी और योम उक्त समझौता के आधार पर जबावदेह उक्त बटवारा में मिली सम्पत्ति पर मालिक काबिज व दखील चले आते हैं, जिसमें वादी को किसी प्रकार का उज्र व ऐतराज करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं हैऔर उक्त डिग्री के विपरीत करथन करने के लिए स्टोव्ड है यानी उक्त वाद में मौन स्वीकृति एवं विबंधन के सिद्धान्त से भी उपरोक्त वाद दूषित है। उपरोक्त वाद में जो सम्पत्ति राजीव गुप्ता जो मौजूदा वाद में वादी है को जो सम्पत्ति मिली जिसकी सीमाएँ निम्न हैः– पूरब सड़क सरकार, पश्चिम मकान प्रेमराज, उत्तर सम्पत्ति प्रतिवादीगण, दक्षिण गली। उपरोक्त मूलवाद 28/79 के समझौता में जो कूप (कुँआ) जिसके चारो तरफ पक्का चबूतरा बना चला आता था, जिसके पश्चिम की ओर पुराना पखाना सन्डासनुमा व उत्तर जीना व उसके नीचे की पोल से वादी राजीव गुप्ता का कोई संबंध व सरोकार व वास्ता नहीं था न है और जो उत्तरी दीवाल में दरवाजे जात प्रतिवादीगण जबावदेह के चले आते थे उक्त दीवाल उत्तरी से भी वादी राजीव गुप्ता का कोई संबंध व सरोकार व वास्ता व दखल योम बटवारा से न था न है, न रहा है, फिर भी वादी राजीव गुप्ता ने किसी बदनियती से उक्त समझौता को नकार कर अपने वाद पत्र में दर्शाए गए नक्शे में बी, सी, व बी1, सी1 जगह को अपना गलत तौर से दिखाया है जो कि उनकी बदनियती को दर्शाता है। प्रतिवादीगण/जबावदेह श्री हरीशंकर के उमर एक वाद श्री प्रेम किशोर ने दायर किया था, जिसमें श्री हरीशंकर के मकान व प्रेमकिशोर के मकान के सन्दर्भ में कमीशन रिपोर्ट दिनांकित 16.01.1988 आई थी, जिसमें भी उक्त विवादित सम्पत्ति जबावदेह की है। उक्त मानचित्र व रिपोर्ट कमीशन से भी वादी का वाद स्वंय झूठा सिद्ध हो जाता है। मुकदमा उपरोक्त व मूल वाद 28/79 में हुए बटवारा को जो सम्पत्ति जबावदेह के हक में मिली है को इस प्रतिवाद पत्र के अन्त में दिए गए नक्शा में विशिष्ठ रूप से अंकित की गई है, जिसमें एक व दो व तीन व चार से दुकानों को दर्शाया है और डब्लू से कुआ को व एल से लैट्रीन दर्शाई है। उक्त मानचित्र से भी वादी का वाद पत्र में दिखाया गया मानचित्र झूठा सिद्ध हो जाता है। वकील वादी मूल वाद सं० 28/79 से जो सम्पत्ति जबावदेह के हिस्सा में आई उसमें वादी का कोई हक व हिस्सा सरोकार व वास्ता वकील वादी स्वंय उक्त संधि पत्र के बाद नहीं रहा और जबावदेह अपने कुरे में आई सम्पत्ति पर मालिक काबिज व दखील चले आते हैं और वादी का उक्त सम्पत्ति पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहा है और व मूजिक डिग्री मूलवाद सं० 28/79 से वादी को विवादित सम्पत्ति पर अन्दर 12 साल किसी प्रकार का कब्जा व दखल न रहने के कारण दावा हुक्मइंतनाई विधिक रूप से संधारणीय नहीं है। वादी ने अपने वाद पत्र में दर्शित मानचित्र में बी, सी, बी1, सी1 जमीन को अपना होना गलत तौर पर अंकित किया है जबकि प्रतिवादीगण के मकान के कमरे की दीवाल है तथा उक्त कमरा प्रतिवी के बजानिव पूरव प्रतिवादीगण के मकान व

निकास व कुआ व कोठरी जिसमें पूर्व सन्डास था व जीना व उसकी पौल में अलमारी व कुआ व पखाना बना चला आता है, जिससे वादी अथवा उनके मूरिस से यौम संधिपत्र से किसी प्कार का संबंध व सरोकार नहीं रहा है तथा प्रतिवादी जबावदेह का बना पक्षना की पूरवी दीवाल भी जिसे नक्शा प्रतिवाद पत्र में लाल रंग से दिखाया है लगी चली आती है जिसकी सीध में पश्चिम तक आराजी प्रतिवादीगण है। जिसके बजानिव दक्षिण वादी की खाली आराजी व मकान है इस तरह वादी ने जो नक्शा वाद पत्र में व उससे संन्दर्भित जो कथन किए है वह सब गलत व झूठे हैं और उक्त समझौता में जो वादी की स्वीकारोक्ति है। जो कि विधिक तौर पर वादी पर प्रभावी है से भी बदलने का कोई हक वादी को नहीं है, इस कारण से भी वादी का वाद पत्र गलत है। उक्त समझौता के बाद एडमीशन आफ दा पार्टीज के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण में अपनी पूरवी दीवाल का निर्माण किया था जो मौके पर आज भी अलग अलग कायम है, जिसमें वादी की दीवाल का चौड़ाई मोटाई व ऊँचाई जबावदेह की लगी पूरवी दीवाल की मोटाई से अधिक व ऊची है जो मौके पर अलग अलग बखूबी साफ नजर आती है, जिसको भी वादी ने छुपाकर उक्त वाद गलत ब्यानी के साथ पेश की है, जो कि वादी की बदनियती को दर्शाता है और वादी न्यायालय के समक्ष क्लीनहैन्ड से न आाने के कारण किसी भी दमरदरसी को पाने का कानूनन मुश्तहक नहीं है। वादी का वाद पत्र में दर्शित बी, बी1, सी, सी1 पर वादी का किसी प्रकार का कोई कब्जा व दखल न होने के कारण व उसका स्वामी वादी न होने के कारण दावा हुक्मइंतनाई काबिज कायमी नहीं है पस निरस्त योग्य है। वादी अपने वाद पत्र में दर्शित जगह बी, बी1, सी, सी1 जगह की बावत अपने को मालिक डिक्लेअर उक्त मुकदमा के माध्यम से कराना चाहता है, जिसका अधिकार किसी प्रकार का वादी को प्राप्त नहीं है और उक्त विनय पर दावा धारा 34 व 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधि० से भी बाधित है। विवादित जगह जिसे वादी ने बी, बी1, सी, सी1 जगह से दर्शाया है की बावत समान पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय द्वारा संधि पत्र के आधार पर फायनली तौर पर डिसायड कर दिए जाने के कारण उक्त तथ्य की बावत इस मुकदमा में रीहेजीडेट कानूनन नहीं किया जा सकता और उक्त परिस्थितियों में भी वादी का उपरोक्त वाद धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता से भी बाधित हो जाता है। जबावदेह की कोठरी जिसका दरवाजा योम तस्फिया उपोरक्त से पूरब की ओर जैसा बना था वैसा ही बना है और उसका निकास बिना रोक टोक प्रतिवादीगण जबावदेह के तथाकथित घेर में होकर चला आता है इस कारण विवादित घर में भी प्रतिवादीगण का जायद 20 साल से नरोक टोक इस्तेमाल करते चले आने के कारण हक आशाय प्राप्त है और दरवाजा आदि को खुला रखने व दरवाजा जात की जगह बतौर सहन प्रतिवादी जबावदेह इस्तेमाल कर पाने का राइट फुल ओनर है इस कारण से भी वादी जबावदेह के विरुद्ध हुक्मइंतनाई प्राप्त करने के हकदार नहीं है। उपरोक्त मूल वाद 28/79 में मिली सम्पत्ति जिसे वादी मौजूदा वाद में अपनी जाहिर करता है वह जबावदेह अविनाशचन्द्र व अवधेश कुमार को मिली है, जिसमें प्रतिवादी हरीशंकर का कोई हक व हिस्सा नहीं है। इस कारण से उपरोक्त वाद में अनावश्यक तौर पर पक्षकार बनाए जाने का भी दोष है। वादी का यह कथन कि वादी की अनुपस्थिति में प्रतिवादीगण ने वादी के मकान में लगे उत्तरी तरफ जंगला व गार्डर निकाल लिए और तब वादी ने एस०डी०एम० जलेसर के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया और वाद एस०डी०एम० जलेसर के थानाध्यक्ष जलेसर को प्रतिवादीगण द्वारा किए जा रहे

निर्माण कार्य को रुकवाया, यह सब कथन वादी गलत व झूठ है। वादी का यह कथन कि प्रतिवादीगण ने इलाका पुलिस से साठ गांठ करके वादी के मकान में बनी कोठरी को अपने में मिलाने के लिए व अक्षर सी, सी1 व बी, बी1 में बनी कोटरी को अपने मिलाने के लिए अक्षर सी, सी1 पर नक्शा वाद पत्र में दीवाल हेतु नींव खोदना शुरु किया और कोई नई दीवाल लगाने की धमकी दी या उक्त संबंध में इलाका पुलिस वादी की उपेक्षा की गई यह सब कथन वादी ने मुकदमा में महज रंगत पैदा करने की नियत से झूठे तौर पर अंकित किया है। प्रतिवादीगण ने वादी की किसी जमीन के या उसके किसी जुज पर न अपने कभी मिलाने का प्रयास किया और कथन वादी विरुद्व इसके कतई गलत व झूठा है। स्वंय वादी द्वारा पूरब तरफ बने चला आ रहे पाखाना प्रतिवादी को वादी द्वारा गलत तौर पर अनाधिकृत तौर पर तोड़ दिए जाने के कारण व जगह ए, ए1, बी,बी1 जगह व मूजिव नक्शा प्रतिवाद पत्र जो जगह प्रतिवादी नं० 2 व 3 की है को अपनी बताकर दावा दायर कनरे के कारण प्रति दावा पेस करने का कारण प्रतिवादी जबावदेह को प्रस्तुत हुआ है और इस विनय पर प्रतिवादी वादी के विरुद्व बावत इश्तकरार व हुक्मइंतनाई व हर्जा इस्तेमाल आदि प्राप्त करने के कानूनन तौर पर अधिकारी है। काउन्टर क्लेम का मूल्यांकन बावत ए, ए1, बी, बी1, सी, डी, ई की तखमीनी की मत मुव० 2,000/– रु० पर कायम किया जाता है और कोर्ट फीस बावत हुक्मइंतनाई उसके 1/5 भाग यानी 400/– रु० पर 50/–रु० अदा की जाती है और वास्ते उद्दघोषणा हेतु निर्धारित न्यायशुल्क 50/– रु० अदा किया जाता है।

5– उक्त काउन्टरक्लेम/जबाव के वादी द्वारा **प्रतिवाद पत्र कागज सं० 46 ए 1** प्रस्तुत कर कथन किया है कि जैसा कि प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी व प्रतिवाद से स्पष्ट है कि प्रतिवादी हरीशंकर को विवादित सम्पत्ति के उत्र स्थित आराजी में कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी हरीशंकर प्रति वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था न है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रतीप वाद के अन्तर्गत मांगा गया अनुतोष (3ब) के सम्बन्ध में मांगी गई क्षतिपूर्ति पर न्यायशुल्क अदा करना चाहिए। प्रतिवादीगण को कोई अधिकार उद्दघोषणा प्राप्त करने का नहीं है। प्रतिवादीगण को प्रतीप वाद प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं रहा है न हुआ है और न ही उसका कोई आधार प्रतिवाद पत्र में लिखा है। प्रतिवादीगण द्वारा मांगा गया अनुतोष अन्तर्गत आदेश 20 नियम 12 किस आधार पर मागा गया है स्पष्ट नहीं है, तथाकथित अनुतो, भी प्रतिवादीगण पाने के अधिकारी नहीं है तथआ वांछित क्षतिपूर्ति अत्यधिक है। जैसा कि रिप्लीकेशन में स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी प्रतिवादी को दरवाजा जिसे नक्शा रिप्लीकेशन को सी, जे के मध्य बना होना बताया गया है, से आमोदरफत करने का को अधिकार सुखादिकार के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, बटवारा दिनांकित 01.03.1979 से पूर्व समस्त हिस्सेदारान मय वादी व प्रतिवादीगण वाद ग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी थे और उन्हें कोई सुखाधिकार प्राप्त न ही हो सकता था और बटवारा हो जाने के उपरान्त वाद योजित करने के समय तक 20 वर्ष पूरे नहीं हुये थे। अतः अब भी कोई सुखाधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रतिवादीगण ने कभी भी बटवारे के बाद से आज तक उपरोक्त दरवाजे से आवागमन नहीं किया है। प्रतीप वाद असत्य बनावटी झूँठे कथनों पर आधारित है, जो मय खर्चा निरस्त होने योग्य है।

6– न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2012 को प्रार्थना पत्र 27 ए1 स्वीकृत कर वाद पत्र पर संशोधन किया गया, जिस पर विपक्षी सं० 2 व 3 द्वारा **अतिरिक्त प्रतिवाद पत्र सं० 106 ए1** प्रस्तुत कर कथन किया कि जो भी संशोधन 27 ए1 प्रार्थना पत्र के माध्यम से वाद पत्र में वादी ने कराया है वह सब कतई गलत खिलाफ कानून व झूठा है, जो कि उत्तरदातागण को किसी भी तौर पर स्वीकार नहीं है। वादी का यह कथन कि वाद योजित करने के बाद व अमीन महोदय के पहुँचने से पूर्व वादी की सम्पत्ति की दीवार जिसे नक्शा वादपत्र में अक्षर सी, डी से दर्शित किया है के बतरफ उत्तर निर्मित कमरे की छत का पटाव गार्डर व पटियों से वादी की सी, डी दीवाल पर कर लिया है, यह कथन भी वादी का बिल्कुल मिथ्या व बनावटी है। जबकि उक्त निर्माण वाद योजित करने से काफी समय पूर्व का चला आता था, जिसकी बावत वादी को सम्पूर्ण जानकारी थी व रही, बावजूद इसके गलत कथनों को अभिलिखित कर उक्त संशोधन वाद पत्र में कराया है। वादी का संशोधन वाद पत्र के कथन पूर्व के निर्णीत वाद सं० 25 सन् 1979 के विरोधाभाषी है व साथी ही साथ गलत है इस कारण कन्ट्रेरी रिलीफ वादी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जिस निर्माण प्रतिवादीगण को वादी ने नव निर्माण होना अभिकथित किया है वह कभी भी वादी सी, डी दीवाल पर न कोई दौरान वाद निर्माण प्रतिवादी/जबावदेही ने किया है और न ही कभी इस सन्दर्भ में इच्छा जाहिर की है। कथन वादी विरुद्ध इसके कतई गलत व झूठा है। संशोधन के संबंध में जो कि सबजेक्ट मैटर इन सूट वादी ने दर्शायी है वह भी गलत है, क्योंकि सी, डी दीवाल ओ०एस० नम्बर 28 सन् 1979 के अनुसार न कभी वादी को मिली और न वाद निर्माण ओ०एस० 28 सन् 1979 वादी के स्वामित्व व अध्यासन में रही, इस कारण से उसका मूल्यांकन वादी को करने का कोई हक नहीं है। इस कारण मैण्डेटरी इंजगशन का जो अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादी ने संशोधन के जिरये माँग की है, वह कतई बेजा है।

7– उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.05.2008 द्वारा निम्न लिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं–

1. क्या वादी विवादित सम्पत्ति जिसे वादपत्र के अन्त में दर्शित किया गया, का स्वामी, काबिज दखील है ?

2. क्या वादी वाद पत्र में वर्णित अभिकथनों के आधार पर निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

3. क्या वादी का वाद धारा 34,38,41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है ?

4. क्या वादी का वाद धारा 11 जा०दी० से बाधित है ?

5. क्या वादी के वाद में अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने का दोष आरिज है ?

6. क्या प्रतिवादी अपने प्रदीप वाद में वर्णित अभिकथनों के आधार पर निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

7. क्या प्रतिवादी वादी से क्षतिपूर्ति मुव० 2,000/– रुपया पाने का अधिकारी है ?

8. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गयाहै ?

9. क्या वादी द्वारा न्यायशुल्क कम अदा किया गया है ?

10. क्या प्रस्तुत वाद की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकारी इस न्यायालय को नहीं है ?

11. अन्य अनुतोष ?

12. क्या प्रतीप वाद अल्पमूल्यांकित एवं प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ? (आदेश दिनांकित 26.07.2012 को विरचित कर निस्तारण किया गया)

8– वादी ने अपने कथन के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त कागज सं० 172 सी1 से एक किता नकल डिक्री मय तस्फिया ओ०एस० नम्बर 28/1979 रविशंकर बनाम हरीशंकर आदि कागज सं० 172 सी1/2 लगायत 172 सी1/11, फेहरिस्त 173 सी1 से एक किता नकल कर निर्धारण रजिस्टर वर्ष 1998 नगर पालिका परिषद जलेसर, एटा कागज सं० 173 सी1/2 एवं एक किता असल रसीद नगर पालिका परिषद जलेसर एटा रसीद सं० 82 पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

9– वादी ने अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य शपथ पत्र पी०डब्लू० 1 राजीव गुप्ता कागज सं० 167 ए 2, साक्ष्य शपथ पत्र पी०डब्लू० 2 जसवन्त सिंह कागज सं० 169 ए 2 एवं साक्ष्य शपथ पत्र पी०डब्लू० 3 प्रकाश सिंह कागज सं० 170 ए 2 पत्रावली पर दाखिल किया है।

10– वादी की ओर से **पी०डब्लू० 1 के रूप में राजीव गुप्ता** का साक्ष्य शपथ पत्र 167 ए 2 प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह करने पर कथन किया है कि–

मैंने पी०एच०डी० हिस्ट्री पढ़ा हुआ हूँ, मैंने एल०एल०बी० भी किया है। साक्ष्य शपथ पत्र 167 ए 2 मैंन तीन पेज का दाखिल किया है। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि इस साक्ष्य शपथ पत्र में कितने पेरा हैं। मैंने गिने नहीं थे। इस शपथ पत्र जो लिखा है मेरे द्वारा ही लिखवाया गया है जो साक्ष्य शपथ पत्र मैंने 167 ए 2 तीन पेज का किया है। उसके अलावा किसी और पेज पर हस्ताक्षर नहीं किए जो विवादित सम्पन्ति है, उसके पूर्व में मालिक लाला रामप्रसाद थे। लाला रामप्रसाद के चार पुत्र थे, जिनके नाम रामशंकर गुप्ता, हरीशंकर गुप्ता, शिव शंकर गुप्ता तथा रवी शंकर गुप्ता हैं। लाला राम प्रसाद के सबसे बड़े पुत्र रामशंकर गुप्ता को लाला राम प्रसाद के चाचा जी लाला गोविन्दराम ने दत्तक पुत्र बना लिया था। लाला रामप्रसाद के बड़े पुत्र को लाला रामप्रसाद की संपत्ति को कुछ नहीं मिला फिर कहा वो लाला गोविन्दराम की सम्पत्ति के इकलौते मालिक और काबिज बने। यह विवादित सम्पत्ति उसके बाद तीन हिस्सों में बाँटी गयी। मुझे नहीं पता कि इस सम्पत्ति के बावत पूर्व में कोई मुकदमा चला हो। मुकदमा नम्बर 28/79 सिविल जज एटा के यहाँ रविशंकर बनाम हरीशंकर बंटवारे के आधार पर पड़ा था, समझौते के आधार पर सम्पत्ति का बंटवारा हुआ। मुझे ज्ञात नहीं है कि मुकदमा नम्बर 28/79 में जो चला था उसमें बंटवारे के आधार पर मकानीयत वादी को मय घेर (अहाता) मिला था। जो मुकदमा 28/79 चला था उसमें कुछ पक्षकारों के नाम शिवशंकर गुप्ता, इन्द्रेश गुप्ता, प्रमोद गुप्ता आदि अन्य

पक्षकार मुझे याद नहीं है। मैंने इस मुकदमें में हरीशंकर गुप्ता, अविनाश गुप्ता, अवधेश गुप्ता को पक्षकार बनाया है। पूर्व में जो मुकदमा 28/79 चला था उसके सभी पक्षकारों को नहीं बनाया है। यह बात सही है कि जो मुकदमा 28/79 मुकदमा चला उसका निस्तारण संधि पत्र के आधार पर हुआ। जो इस मुकदमें में नक्शा है वह संधि पत्र के आधार पर है। प्रश्न– विवादित सम्पत्ति में जो नक्शा वाद पत्र इस मुकदमें में दर्शाया है वह 28/79 के मुकदमे की डिक्री के मुताबिक नहीं है। उत्तर– नक्शा मौकानुसार सही है। मेरे अहाते(घेर) की उत्तरी दीवार के बाद सम्पत्ति विपक्षीगण की है जो संधि पत्र के मुताबिक प्रतिवादीगण को मिली थी। मेरे घेर के उत्तरी दीवार के बाद जीन, कुछ दुकान आदि निर्मित तामीरात विपक्षगणों को मिली है। प्रश्न– संधि पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण को एक किता गोदाम दो खनी तामीरात पुख्ता 4 किता दुकानात मय जीना मिला था। उत्तर– मेरे मकान व घेर की उत्तरी दीवार के बाद सम्पत्ति विपक्षीगण को मिली है जिसको मैंने अन्दर से नहीं देखा है। प्रश्न– संधि पत्र के आधार पर विपक्षीगण को जो जगह मिली उसमें एक कुआ पुख्ता ना हुआ था। उत्तर– हो सकता है कि उनके घर के आँगन में कुँआ हो मेरा उनके घर आना जाना नहीं है। नक्शा 5ए1/4 मेरे द्वारा दाखिल किया गया है। प्रश्न– प्रतिवादीगण को संधि पत्र मुकदमा नं० 28/79 के आधार पर प्रतिवादीगण को जो सम्पत्ति मिली उसके दक्षिण में नक्शा वाद पत्र में डब्लू से दर्शाया गया है वह दक्षिण में है। उत्तर कुआ मेरे घेर की उत्तरी दीवार के अन्दर है जो प्रतिवादी के दक्षिण दिशा की ओर पड़ता है। कुँआ मेरे घेर के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। प्रतिवादीगण के दक्षिण दिशा में नहीं है। विवादित सम्पत्ति का दावा दायर करते समय जो नक्शा वाद पत्र के साथ दाखिल किया था। उसकी चौहद्दी पूरब में सड़क सरकारी, दक्षिण में सड़क सरकारी, पश्चिम में मकान हजारीलाल जो उन्होंने खरीदा था फिर कहा पश्चिम में मकान राम भरोसेलाल, उत्तर में सम्पत्ति प्रतिवादी का (मेरे घेर की उत्तरी दीवार के बाद) रामभरोसेलाल के मकान से पूरब तक जाती है। दीवार की लम्बाई और ऊचाई मैं नहीं बता सकता। मैंने ईंट कभी गिनी नहीं कि कितनी ईंट की दीवार है। ये दीवार जब हमें सम्पत्ति मिली तभी से हमारे घेर की है। विवादित सम्पत्ति में एक पैखाना भी है कुआ के बराबर। ये पैखाना लगभग 30–35 वर्ष पुराना है। जिसका निर्माण मेरे पिता जी ने करवाया था। 28/1979 के मुकदमें में पेखाना नहीं बना था। संधि पत्र 28/79 के मुकदमें के आधार पर प्रतिवादीगण को कुआ व पैखाना नहीं मिला थआ। प्रश्न नक्शा वाद पत्र के संशोधित नक्शा के आधआर पर उसकी चौहद्दी बता सकते हो या नहीं। उत्तर– पूरब में सड़क सरकारी, पश्चिम में मकान रामभरोसे लाल, उत्तर में घेर की दीवार के बाद सम्पत्ति विपक्षीगण व दक्षिण में सड़क सरकारी है। प्रश्न– पैखाने और कुएं के पीचे पश्चिम की तरफ प्रतिवादीगण के कोठरी व कमरे बने हुए हैं। उत्तर मैंने पैखाने व कुएँ के बाद उत्तरी दीवार में एक मेहराब है उसके पीचे जो कोठरी है वह मेरी है जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न– कुएं व पैखाने के पीछे संशोधित नक्शा नजरी में कोठरी व कमरे प्रतिवादीगण का होना तहरीर किया है। उत्तर– मेरी उत्तरी दीवार के बाद सम्पत्ति विपक्षीगणों की है। प्रश्न– यह दीवार कब और किसने लगवाई। उत्तर– यह मुझे नहीं पता। मैंने यह दीवार बचपन से देखा है। प्रश्न– क्या दीवार की लम्बाई व

ऊचाई आप बता सकते हैं। उत्तर– मैं दीवार की लम्बाई ऊचाई नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कभी नाप जोख नहीं की है। प्रश्न– रिपोर्ट कमीशन में भी इस दीवार का कोई जिक्र नहीं है। उत्तर– अमीन कमीशन रिपोर्ट में इसका जिक्र है। प्रश्न– 16 सी 2 रिपोर्ट कमीशन दिखा कर पूँछा कि इस दीवार का जिक्र कहाँ। क्या आप बता सकते हैं। उत्तर मैं इतनी टैक्निकलटी नहीं जानता हूँ और समझने में सक्षम नहीं हूँ। प्रश्न– आपने जो संशोधन नक्शा वाद पत्र का संशोधन कराया था वाद सं० 28/79 के आधार पर कराया था। उत्तर– जो नक्शा संशोधन कराया गया है वह मेरी सम्पत्ति के कब्जे के आधार पर है। प्रश्न वाद सं० 28/1979 किसने दायर किया था। उत्तर– शायद मेरे पिता जी ने दायर किया था। प्रश्न– क्या आपने वाद सं० 28/79 के संधि पत्र को कभी देखा था। उत्तर– हाँ मैंने देखा है। प्रश्न– मूल वाद सं० 28/79 के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण बटवारे के आधार पर अपनी–अपनी जगह पर काबिज है या नहीं। उत्तर– वर्तमान में कुआ, पैखाना व कोठरी पर मेरा कब्जा है दौरान वाद सन् 1998 में इन्होंने मेरी घेर की उत्तरी दीवार पर तोड़ फोड़ करने व गाडर रखने की कोशिस की थी। प्रश्न– बटवारे के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी अपनी हिस्से पर काबिज है या नहीं। उत्तर– जी हाँ। प्रश्न– आपको जो बटवारे के आधार पर जो सम्पत्ति मिली उसकी चौहद्दी पूरब सड़क, पश्चिम मकान प्रेमराज, उत्तर सम्पत्ति प्रतिवादीगण, दक्षिण गली आपको मिली या नहीं। उत्तर– जी हाँ। प्रश्न– क्या हरीशंकर के ऊपर एक वाद प्रेम किशोर ने दायर किया था या नहीं। उत्तर– मुझे इस बारे में नहीं पता। प्रश्न– हरीशंकर के मकान व प्रेम किशोर के मकान के संदर्भ में कमीशन रिपोर्ट दिनांक 16.01.1988 को आयी थी या नहीं। उत्तर– मैं बहुत छोटा था मुझे नहीं पता। प्रश्न– जो रिपोर्ट कमीशन दिनांक 16.01.88 को आई थी उसमें विवादित सम्पत्ति पर कब्जा प्रतिवादीगण का था या नहीं। उत्तर– मुझे नहीं मालूम है। प्रश्न– क्या प्रतिवादीगण ने इसी मुकदमें काउन्टर क्लेम दाखिल किया है। उत्तर– जी हाँ। प्रश्न– प्रति दावा 24 ए 1/8 को देखकर नक्शा प्रतिवाद पत्र में दर्शायी ए, ए 1 व बी, बी1 को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है कि नहीं। उत्तर– प्रतिवाद पत्र में दिया गया नक्शा गलत तथ्यों पर आधारित है। प्रश्न– यह नक्शा प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी ने मूलवाद सं० 28/79 में संधि पत्र के आधार पर बनाया है। उत्तर– नक्शा गलत व मनगढंत रूप से बनाया गया है जो मूल वाद सं० 28/79 के अनुसार नहीं है। प्रश्न– संधि पत्र 28/79 के आधार पर प्रतिवादीगण आज भी अपनी स्थान पर काबिज है। उत्तर– मेरे घेर के उत्तरीय दीवार के बाद प्रतिवादीगण काबिज है। यह कहना गलत है कि प्रतिवादीगण ने विवादित सम्पत्ति में न कभी नया निर्माण व जंगला लगाने की कोशिस की है। यह कहना गलत है कि प्रतिवादीगण को संधि पत्र के आधार पर कुँआ, पैकाना व कोठरी मिली हो। यह कहना गलत है कि वादी/मुझे दावा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ। मैं तथ्य एवं सत्य के आधार पर गवाही दे रहा हूँ।

11– प्रतिवादी ने अपने कथन के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त कागज सं० 109 सी1 से एक किता नकल रिपोर्ट कमीशन मय नक्शा दिनांक 16.01.1988 न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एटा मूल वाद सं० 33/1988 प्रेम किशोर बनाम अविनाश

चन्द्र कागज सं० 110 सी1/1 लगायत 110 सी1/3, एक किता नकल रिपोर्ट कमीशन मय नक्शा दिनांक 30.11.1988 न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एटा एस. सी. सी. नं० 21/1988 अविनाश बनाम छोटेलाल कागज सं० 110 सी1/4 लगायत 110 सी1/6, एक किता नकल दखलनामा इजराय नम्बरी 27/1982 कागज सं० 110 सी1/7 लगायत 110 सी1/8, एक किता इकरारनामा दिनांकित 28.01.1976 कागज सं० 110 सी1/9 लगायत 110 सी1/10, एक किता प्रार्थना पत्र पुलिस इंचार्ज दिनांकित 01.10.1998 कागज सं० 110 सी1/10 लगायत 110 सी1/13, एक किता प्रार्थना पत्र उप जिला मजिस्ट्रेट एटा दिनांकित 11.09.1998 कागज सं० 110 सी1/15, चार किता निगेटिव फोटो कागज सं० 110 सी1/16 एवं नौ किता फोटो कागज सं० 110 सी1/17 लगायत 110 सी1/21 पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

12– प्रतिवादी ने अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू० 1 अविनाश चन्द्र का साक्ष्य शपथ कागज सं० 144 ए 2 पत्रावली पर दाखिल किया है। किन्तु उक्त साक्षी के से कोई जिरह नहीं की गयी है तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम पर बल देने का अवसर न्यायालय द्वारा समाप्त किया गया, इसलिए साक्ष्य शपथ पत्र साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

13– प्रतिवादी/काउण्टर क्लेमकर्ता की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत वाद की कार्यवाही न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2026 को प्रतिवादी/काउण्टर क्लेमकर्ता के विरुद्ध एक पक्षीय अग्रसारित की गई है।

14– पत्रावली में अमीन रिपोर्ट मय नक्शा नजरी कागज संख्या 16 सी 2/1 लगायत 16 सी2/3 दाखिल है।

15– मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता के एक पक्षीय तर्क सुने एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

<u>–निष्कर्ष–</u>

16– वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थित मौहल्ला बाजार कलां अगरैयान कस्बा जलेसर परगना व तहसील व जिला एटा पुराना नंबर 2/658 व 2/659 था जो अब 4/380 व 4/381 हो गया तथा जिसकी सीमायें वाद पत्र के अन्त में अक्षर ए, बी, सी, डी, ई से दर्शित की गयी हैं, पर स्थाई निषेधाज्ञा व संशोधन पश्चात आदेशात्मक निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दायर किया गया है। जिसमें वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी विवादित (मकान नं. 4/380, 4/381, कस्बा जलेसर, एटा) का वैध मालिक व कब्जेदार है, जो उसे पारिवारिक बंटवारे (मूलवाद संख्या 28/1979) के समझौते से प्राप्त हुआ। प्रतिवादी, जो वादी के परिवारी व खान्दानी हैं, वादी के मकान की उत्तरी दीवार के सहारे निर्माण करना चाहते थे, जिसकी वादी ने सीमित अनुमति दी थी। लेकिन प्रतिवादीगण ने अनुमति का उल्लंघन करते हुए वादी की उत्तरी दीवार में तोड़फोड़, जंगला निकालने और वादी की जगह (कोठरी, पाखाना आदि) को अपने हिस्से में मिलाने का प्रयास किया। पहले एस०डी०एम० के आदेश से काम रुका, पर बाद में (दिनांक 14.09.1998) प्रतिवादियों ने फिर अवैध निर्माण व खुदाई शुरू कर दी और धमकी दी।

प्रतिवादियों ने वादी की दीवार पर गार्डर/पटिया रखकर अतिक्रमण भी किया है।

17- निस्तारण वाद बिन्दु संख्या- 01

1. क्या वादी विवादित सम्पत्ति जिसे वादपत्र के अन्त में दर्शित किया गया, का स्वामी, काबिज दखील है ?

18– वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी की ओर से अपने वाद पत्र में कथन किया गया है कि वादी को अपने पूर्वजों की सम्पत्ति समझौता के आधार पर बटवारा होकर प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात से लगातार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से के स्वामी काबिज व दखील चले आ रहे हैं। वादी द्वारा अपने अभिकथन को सिद्ध करने के लिए मूल वाद सं० 28/1979 श्री रवीशंकर बनाम हरीशंकर आदि में हुए नकल डिक्री मय तस्फिया कागज सं० 172 सी 1/1 लगायत 172 सी1/11 पत्रावली पर दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अपने अभिकथन को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य में फेहरिस्त 173 सी1 से एक किता नकल कर निर्धारण रजिस्टर वर्ष 1998 नगर पालिका परिषद जलेसर, एटा कागज सं० 173 सी1/2 एवं एक किता असल रसीद नगर पालिका परिषद जलेसर एटा रसीद सं० 82 दाखिल किया गया है।

19– इसके अतिरिक्त पत्रावली पर विवादित सम्पत्ति की अमीन रिपोर्ट कमीशन मय नक्शा कागज सं० 16 सी 2/1 लगायत 16 सी2/3 पत्रावली पर दाखिल है। वादी द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में स्वंय को परीक्षित कराया गया है। न्यायालय द्वारा दाखिल उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य का विवादित सम्पत्ति की स्थिति तथा स्वामित्व के संबंध में परीशीलन किया गया है। सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि उभय पक्षों को यह पूर्णतः स्वीकार है कि विवादित सम्पत्ति का बंटवारा समझौते के आधार पर मूल वाद सं० 28/1979 रवीशंकर बनाम हरीशंकर आदि में हुआ था, जिसके आधार पर उभय पक्ष काबिज व दखील चले आ रहे हैं। इस संबंध में मूल वाद सं० 28/1979 रवीशंकर बनाम हरीशंकर आदि की डिक्री मय तस्फिया का परिशीलन किया गया, जिसमें कागज सं० 172 सी1/7 की मद संख्या 3 में वादी मुकदमा (राजीव गुप्ता) को सम्पत्ति का दिया जाना उल्लिखित है।

इसी प्रकार मूल वाद सं० 28/1979 रवीशंकर बनाम हरीशंकर आदि की डिक्री मय तस्फिया, जिसमें कागज सं० 172 सी1/7 की मद संख्या 5 में प्रतिवादीगण (अवधेश चन्द्र व अविनाश चन्द्र पुत्रगण लाला हरीशंकर) को सम्पत्ति का दिया जाना उल्लिखित है।

उक्त समझौतेनामा के आधार पर ही न्यायालय द्वारा अपनी डिक्री में बंटवारा कर सम्पत्ति का उल्लेख किया गया है। जो निम्नलिखित हैः–

"(3) तफसील जायदाद जो हिस्सा श्री अविनाश चन्द्र व अवधेश चन्द्र मुद्दा० 2 व 3 को मिली फेहरिस्त स कीमती लख 15,000/– रुपयाः– 1. एक किता गोदाम दो खनी तामीरा पुख्ता व 4 किता दुकानात मय जीना तामीरा पुख्ता व ***एक कूप पुख्ता तथा इसके पीछे***

बने मकानात तामीरा पुख्ता बाकै मौहल्ला बाजार कलां (अगरैयान) कस्बा जलेसर नगर पालिका नं० 2/253 लगायत 2/257 *पूरब–सड़क सरकारी, पश्चिम– मकान पैमराज व मकान वारिसान बाबूराम मृतक उत्तर– मकान वारिसान बाबूराम मृतक,* ***दक्षिण– सम्पत्ति जो मुद्दा० नं० 7 राजीव गुप्ता गुप्ता*** *को मिली।"*

"(7)– तफसील जायदाद फहरिस्त ख जो श्री राजीव गुप्ता मुद्दा नं० 7 को मिली कीमती 20,000/– रुपया। 1– किता बाग नम्बरी 343 मसहूरा सुनार वाला बाग बैकै कस्बा मौजा जलेसर अन्दर चुंगी मय आराजी बाग व मौजूदा दरख्तान तथा मन्दिर व कूप पुख्ता जो इसमें बने हुये है तथा दो किता दुकानात दो खनी व दो किता गैरिज व दो किता कोठरी तामीरा पुख्ता जो बाग मजकूर में व जानिव दक्षिण बनी है। ***नगर पालिका नम्बर 4/359 लगायत 4/363 व 4/365 व 4/366 बैके मन्डी जवाहरगंज साबिक बगीचा हरिया परगना व तहसील जलेसर****। कीमत 10,000/– रुपया।"*

"2. एक किता मकान तामीरा पुख्ता मय घेर ***बाकै बाजार कलां मौहल्ला अगरैयान कस्बा जलेसर नगर पालिका नं० 2/658 व 2/659 पूरब में सड़क सरकारी, पश्चिम में मकान पैमराज, उत्तर सम्पत्ति जो मुद्दा नं० 2 व 3 को मिली,*** *दक्षिण सड़क सरकारी।"*

उपरोक्त के परीशीलन से यह स्पष्ट है कि विवादित सम्पत्ति जिसकी स्थिति वाद पत्र में वादी मुकदमा द्वारा स्वंय उल्लिखित किया गया है कि वह मौहल्ला बाजार कलां अगरैयान कस्बा जलेसर परगना व तहसील व जिला एटा में स्थित है, जिसका पुराना नम्बर 2/658 व 2/659 था जो अब 4/380 व 4/381 हो गया है। इस संबंध में उपरोक्त डिक्री मय तस्फिया का परिशीलन कर यह स्पष्ट है कि वादी राजीव गुप्ता को समझौतेनामे में बंटवारे के आधार पर विवादित सम्पत्ति से एक किता मकान तामीरा पुख्ता मय घेर का मिलना उल्लिखित है, जिसकी स्थिति उक्त डिक्री में **बाजार कलां मौहल्ला अगरैयान कस्बा जलेसर नगर पालिका नम्बर 2/658 व 2/659** होना उल्लिखित है। इस प्रकार वाद पत्र में उल्लिखित सम्पत्ति में वादी को मकान व घेर के मिलने का स्पष्ट रूप से डिक्री में उल्लेख किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बाजार कलाँ मौहल्ला अगरैयान स्थित सम्पत्ति में वादी राजीव गुप्ता को कूप पुख्ता मिलने का कोई भी उल्लेख नहीं है।

20– इसके अतिरिक्त समझौते के आधार पर बंटवारे में वादी को एक अन्य सम्पत्ति दी गयी थी, जिसकी स्थिति **नगर पालिका नम्बर 4/359 लगायत 4/363 व 4/365 व 4/366 बाके मन्डी जवाहरगंज साबिक बगीचा हरिया परगना व तहसील जलेसर व जिला एटा** में होना उल्लिखित है। इस सम्पत्ति में दरख्तान तथा मंदिर व कूप पुख्ता, दो किता दुकानात, दो खनी व दो किता गैरेज व दो किता कोठरी का होना उल्लिखित है। वादी का यह तर्क कि विवादित कूप पुख्ता वाद पत्र में उल्लिखित सम्पत्ति में उसको बटवारे के आधार पर दिया गया था, जिसका उल्लेख उपरोक्त सम्पत्ति में किया गया है, यह तर्क विधि संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि विवादित सम्पत्ति की स्थिति वाद पत्र में बाजार कलां मौहल्ला अगरैयान में होना बताया गया है, जबकि उपोरक्त सम्पत्ति जिसमें वादी को कूप पुख्ता, मन्दिर व अन्य सम्पत्ति की स्थिति बांके मन्डी

जवाहरगंज में होना स्पष्ट है।

21– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह दावा किया गया है कि विवादित सम्पत्ति में कुँआ तथा कुएँ के पीछे पखाना बंटवारे में वादी के हिस्से में आया था। दौरान बहस वादी द्वारा यह तर्क दिया गया कि कूप पुख्ता का उल्लेख डिक्री में उसके स्वामित्व के संबंध में किया गया है, जबकि जिस कूप पुख्ता का उल्लेख वादी के स्वामित्व के संबंध में किया गया है, उसकी स्थिति **नगर पालिका नम्बर 4/359 लगायत 4/363 व 4/365 व 4/366 बाके मन्डी जवाहरगंज साबिक बगीचा हरिया परगना व तहसील जलेसर व जिला एटा** में होना उल्लखित है, जो कि वाद पत्र के विवादित सम्पत्ति की स्थिति **(बाजार कलां मौहल्ला अगरैयान कस्बा जलेसर नगर पालिका नम्बर 2/658 व 2/659)** से पूर्णतः भिन्न है।

22– मूल वाद सं० 28/1979 रवीशंकर बनाम हरीशंकर आदि की डिक्री मय तस्फिया के परिशीलन से स्पष्ट है कि विवादित सम्पत्ति की चौहद्दी तथा वाद पत्र में वादी द्वारा दी गयी चौहद्दी तथा रिपोर्ट कमीशन अमीन आख्या में दी गयी विवादित सम्पत्ति की चौहद्दी एक समान है, जिसमें वादी को मकान व घेर का दिया जाना उल्लेख किया गया है। जहाँ तक प्रश्न कूप पुख्ता (कुँआ) के संबंध में है, उसका कोई उल्लेख डिक्री मय तस्फिया में विवादित सम्पत्ति नगर पालिका संख्या 2/658 व 2/659 में वादी मुकदमा को बंटवारे में दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

23– रिपोर्ट कमीशन कागज सं० 16सी 2 का परिशीलन किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि उभय पक्षों द्वारा कुँआ (W) पाखाना (P), दीवाल (DN), कोठरी (C1CBO), दीवाल (AB) को अपना-अपना बताया गया है तथा उभय पक्षों द्वारा अपने लिखित कथनों में विवादित सम्पत्ति में कुँआ, पाखाना, दीवाल (AB) पर अपना स्वामित्व, कब्जा का उल्लेख किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा कोई भी दस्तावेजी ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य विवादित स्थल पर अपना कब्जा सिद्व करने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

24– वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू० 1 के रूप में स्वंय को परीक्षित कराया गया है। वादी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि मुकदमा संख्या 28/1979 में बंटवारे के आधार पर उसको मकान मय घेर मिला था, जिससे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त डिक्री मय तस्फिया में उल्लिखित सम्पत्ति का समर्थन वादी द्वारा अपनी जिरह में किया गया है। जहाँ तक प्रश्न कुँआ (कूप पुख्ता) का है, इस संबंध में वादी ने कथन किया कि विपक्षीगण को बंटवारे में जो सम्पत्ति मिली है, उसमें कुँआ उनको नहीं मिला था, जबकि डिक्री मय तस्फिया के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को विवादित सम्पत्ति में कुँआ का उल्लेख किया गया है, जिस पर वादी द्वारा अपनी जिरह में यह भी कथन किया गया है कि हो सकता कि कुँआ उनके आंगन में हो, मेरा उनके घर आना-जाना नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट करना उल्लेखनीय है कि डिक्री मय तस्फिया में समस्त सम्पत्ति का विवरण गहनता के साथ किया गया है। जहाँ तक प्रश्न कुँआ का होने का है, इस संबंध में डिक्री मय तस्फिया में विवादित सम्पत्ति में केवल एक ही कुँए का उल्लेख किया गया है, जो कि वादी मुकदमा के पक्ष में उल्लिखित नहीं है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के कथनों के समर्थन में अन्य कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवादित दीवाल, कुँआ व पाखाना (वाद पत्र में नक्शा में अंकित अक्षर सी,डी, डब्लू व पी) पर वादी का स्वामित्व, कब्जा व दखील रहा हो।

25- उपरोक्त के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वाद पत्र में विवादित सम्पत्ति पर उभय पक्षों का मूल वाद सं० 28/1979 में हुए समझौते के आधार पर बंटवारे में मिली सम्पत्ति पर अपना-अपना स्वामित्व, कब्जा एवं दखील हैं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अभिकथन किया गया है कि विवादित सम्पत्ति पर उसका स्वामित्व, कब्जा व दखील मूल वाद सं० 28/1979 के आधार पर हुए बंटवारे के आधार पर रहा है, जिसको सिद्ध करने में वादी असफल रहा है। अतः वाद बिन्दु सं० 1 का निस्तारण वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

26- निस्तारण बाद बिन्दु संख्या-02

2. क्या वादी वाद पत्र में वर्णित अभिकथनों के आधार पर निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

विवादित संपत्ति पर निषेधाज्ञा जारी होने के बावजूद, इसके उल्लंघन के लिए दावे की योग्यता तभी सुनिश्चित होती है जब वादी के पास उक्त संपत्ति पर वास्तविक कब्जा या उसके स्वामित्व का प्रमाण उपलब्ध हो। न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि केवल निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आधार पर स्वचालित रूप से राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। वादी को यह प्रदर्शित करना अनिवार्य है कि वह विवादित संपत्ति का वैध स्वामी है या उस पर उसका वैध कब्ज़ा है। निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए सम्पत्ति पर कब्जा, काबिज व दखील होना साबित करना अनिवार्य है। वाद बिन्दु संख्या–01 के निस्तारण से यह स्पष्ट होता है कि वादी उक्त विवादित सम्पत्ति पर अपना कब्जा व स्वामित्व को साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में वादी इस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या–02 निस्तारित किया जाता है।

27- निस्तारण बाद बिन्दु संख्या- 11

11. अन्य अनुतोष ?

वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2012 को प्रार्थना पत्र 27 ए 1 स्वीकृत कर वाद पत्र पर संशोधन किया गया। जिस पर वादी द्वारा अपने वाद पत्र में आज्ञापक व्यादेश के अनुतोष हेतु संशोधन किया गया। वादी द्वारा संशोधन करने के पश्चात वादी ने अपने वाद पत्र में आज्ञापक व्यादेश का अनुतोष भी माँग जिसके संबंध में कोई वाद बिन्दु अथवा अवधार्य बिन्दु विरचित नहीं किया गया है।

अतः यहाँ यह न्यायसंगत है कि अन्य अनुतोष में वादी आज्ञापक व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं, का अवधार्य बिन्दु बनाकर निस्तारण किया जाना है।

वाद बिन्दु 1 व 2 के निस्तारण में यह निर्णीत किया जा चुका है कि वादी

मुकदमा अपना वाद पत्र सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः विवादित सम्पत्ति पर अपना स्वामित्व, कब्जा व दखील सिद्व न कर पाने के कारण वाद बिन्दु सं० 2 स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं माना गया है। अतः उपरोक्त वाद बिन्दु सं० 1 व 2 के विश्लेषण के आधार पर वादी आज्ञापक व्यादेश के अनुतोष को पाने का अधिकारी नहीं है। अतः यह अवधार्य बिन्दु वादी के विरुद्व नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

28- निस्तारण बाद बिन्दु संख्या- 3 व 4

3. क्या वादी का वाद धारा 34, 38, 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है ?

4. क्या वादी का वाद धारा 11 जा०दी० से बाधित है ?

इस वाद बिन्दु का साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि दावा वादीगण धारा– 34, 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है। इसके सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई स्पष्ट उल्लेख या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपने इस वाद बिन्दु के निस्तारण के लिये अपने भार को साक्ष्यों के माध्यम से निष्पादित करने में असफल रहें है।

तदनुसार वाद बिन्दु संख्या–3 व 4 वादी के पक्ष में सकारात्मक रूप से तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

29- निस्तारण वाद बिन्दु संख्या- 6 व 7

6. क्या प्रतिवादी अपने प्रतीप वाद में वर्णित अभिकथनों के आधार पर निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है **?**

7. क्या प्रतिवादी वादी से क्षतिपूर्ति मुव० **2,000/-** रुपया पाने का अधिकारी है **?**

इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र पर बल नहीं दिया गया है तथा न्यायालय द्वारा वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी है, इस कारण प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद बिन्दु पर बल न दिये जाने के कारण उपरोक्त दोनों वाद बिन्दु संख्या 6 व 7 प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निस्तारित किये जाते हैं।

30– निस्तारण वाद बिन्दु संख्या– 5, 8, 9 व 10

5– क्या वादी के वाद में अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने का दोष आरिज है ?

8– क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?

9– क्या वादी द्वारा न्यायशुल्क कम अदा किया गया है ?

10– क्या प्रस्तुत वाद की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकारी इस न्यायालय को नहीं है ?

उक्त वाद बिन्दुओं का निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2008 को किया जा चुका है, जो इस निर्णय का हिस्सा रहेंगे।

31– उपरोक्त विश्लेषण से तथा वादी की ओर से दाखिल मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है। अतः दावा वादी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

32– वादी का एक पक्षीय वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 30.03.2026

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम० जलेसर, एटा।
(J.O. Code UP 4823)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 30.03.2026

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम० जलेसर, एटा।
(J.O. Code UP 4823)